26.9.18	वकील अपीलार्थ उपस्थित रेस्पो० अनुपस्थित साबिक आदेशानुसार पालना की जाकर पत्रावली दिनांक 5.10.18 को पेश हो। SDO Rohat
5.10.18	उभयपक्ष उपस्थित श्रीमान एस डी ओ आवश्यक राजकार्य से ... में विराजते है अतः पेशी बदलावा होकर पत्रावली दिनांक 16.11.18 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी रोहट
16.11.18	वकील अपीलार्थ उपस्थित रेस्पो० अनुपस्थित मूल रिकार्ड की तलबी हेतु आज हो लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 28.11.18 को पेश हो।
2924-25 16/11/18	उपखण्ड अधिकारी रोहट
28.11.18	वकील अपीलार्थ उपस्थित रेस्पो० अनुपस्थित तह० रोहट से व ग्रा.पं. रोहट से मूल रिकार्ड प्राप्त हो कार्यवाही पुनः लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 19-12-18 को पेश हो। SDO Rohat
19-12-18	वकील अपीलार्थ उपस्थित रेस्पो० अनुपस्थित। तह० रोहट के पत्रांक 3136 दिनांक 19-12-18 द्वारा मूल नामान्तरकरण संख्या 2609 भिजवाया गया है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील अपीलार्थ निवेदन करते है कि प्रकरण में तहसील कार्यालय से मूल रिकार्ड प्राप्त हो चुका है अतः प्रकरण में बहस हेतु निवेदन ...

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करते हो। वकील अपीलार्थी के निवेदन पर उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण के तथ्यो पर मनन किया। वकील अपीलार्थी का उनकी बहस के दौरान मुख्य निवेदन यह रहा है कि अपीलार्थीगण मृतक मंशापुरी की प्रथम श्रेणी की वारिसान पुत्रीया है तथा मंशापुरी के देहान्त के बाद विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान मृतक मंशापुरी के कानूनी वारिसान की पूर्ण जाँच नही की गई तथा न ही उन्हे सुना गया व न ही कोई नोटिस दिया गया हो। अपीलार्थी को दिनांक 25-11-17 को अपीलाधीन नामान्तरकरण के तथ्यो की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की है जो जानकारी अवधि के अन्दर मयाद होने से इसे अन्दर मयाद शुमार फरमाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित आदेश दिनांक 20.5.04 को निरस्त फरमाकर अपीलार्थीगण के नाम दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करावे। हमने वकील अपीलार्थीगण की बहस को सुना। पत्रावली का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यो पर मनन किया। पत्रावली पर लाये गये तथ्यो के मद्देनजर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2609 ग्राम रोहट पर पारित आदेश दिनांक 20.5.04 जारी करने के पूर्व ~~अपीलार्थीगण~~ मृतक मंशापुरी के विधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वारिसान की पूर्ण जांच नहीं करने व सुनवाई का अवसर व नोटिस नहीं दिये जाने के फलस्वरूप तथा अपीलाधीन आदेश पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्ताव का अंकन नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य प्रतीत होता है। अतएव यह नामान्तरकरण अपील प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर प्रथमदृष्टया अन्दर मियाद शुमार योग्य प्रतीत होने से इसे अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2609 ग्राम रोहट पर ग्राम पंचायत रोहट द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-5-2004 को एतद्द्वारा अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार रोहट को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक मंशापुरी के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर, उक्त नामांतरण से संबंधित हितबद्ध सभी पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर उक्त नामान्तरकरण पर विधिपूर्वक आदेश पारित किया जावे। इस आदेश की प्रतिलिपि सहित मूल नामान्तरकरण तहसीलदार रोहट को भिजवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रतिलिपि भिजवाई जावे। बाद

Scanned by CamScanner